नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, मिदनापुर द्वारा रद्द की गई बीमा पालिसियां

2694. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985 के बाद से शाखा प्रबन्धक नेशनल इंश्योरेंस, मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल और शाखा प्रबन्धक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, मिदनापुर, पश्चिमी बंगाल द्वारा कितने तथा किन-किन पालिसीधारको की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसियां रद्द की गयी थीं और उनके रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	पालिसी सं.	बीमित व्यक्ति का नाम	रद्द करने का कारण
1.	नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी	4532/8100084	श्रीमती प्यारी देवी	यह पालिसियां इसलिए रद्द की गई थी क्योंकि बीमित व्यक्ति की आयु, व्यवसाय और उसकी हैसियत से बीमा की रकम काफी अधिक थी।
2.	—वही—	1532/100049	श्रीमती एस. वी. देवी.	
3.	—वही—	1532/8100050	श्री ए. के. सिंह	
4.	—वही—	1532/8100051	श्री के. सिंह	
5.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी	30501/42/1/00064/85	श्री अनिल कुमार सिंह	इस बारे में वास्तविक दावा अनुभव ठीक न होने के कारण पालिसी रद्द कर दी गई।
6.	—वही—	30501/42/100035 85	श्री कृष्णा सिंह	पार्टी द्वारा प्रीमियम की धनराशिश का चैक दिया गया था जिसे बैंक द्वारा लौटा दिया गया था, इसलिए पालिसी रद्द कर दी गई।

Warehousing accommodation on Curry Road Bombay

2695. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Collector of Customs, Bombay has recently increased the rent of a warehousing accommodation on Curry Road, Bombay;

(b) whether it is also a fact that this warehouse is in a dilapidated condition;

(c) if so, what are the reasons for the increase of rent of this warehouse with details thereof; and

(d) whether the sanction and approval of the Miniistry of Urban Development and local municipal authorities were taken before increasing the rent and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Yes, Sir.